

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(13)नविवि/जयपुर/2016

जयपुर, दिनांक 31/5/18

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग के अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012, राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 में रेलवे सीमा के पश्चात ही नियमन/रूपान्तरण/भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का प्रावधान है। Indian Railway Works Manual-2000 के अनुसार रेलवे सीमा से लगती हुई भूमि पर निर्माण से पूर्व रेलवे प्राधिकारी (Authority) को सूचित किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त के संबंध में पुन स्पष्ट किया जाता है कि रूपान्तरण/नियमन/भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में रेलवे सीमा के पश्चात नियमन कर पट्टे जारी किये जा सकते हैं, परन्तु रेलवे सीमा से लगती हुई 30 मीटर क्षेत्र में भूमि पर निर्माण से पूर्व संबंधित रेलवे प्राधिकारी (Authority) को सूचित किया जाना आवश्यक है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

MLP(BPC) STP-LP/PS

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

10/5/18

STP
31/5/18

228(18)R-652
10/5/18